पत्रांक– 20/वि० 1–13/2016 ....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक............................

विषय– विश्व बैंक सम्पोषित "Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar" योजनान्तर्गत निर्धारित Disbursement Linked Indicators के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा 1 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के भवनों के जीर्णोद्धार हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० से प्राप्त प्राक्कलन एवं कुल प्राक्कलित राशि ₹15,91,93,000.00 (पन्द्रह करोड़ इक्यानबे लाख तिरानबे हजार) रूपये की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

महाशय,

राज्य के 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), 23 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, 4 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बाईट) एवं 6 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों (कुल 66 प्रशिक्षण संस्थानों) को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) से मान्यता प्राप्त हैं एवं इनमें 2 वर्षीय डी.एल.एड. तथा बी.एड. प्रशिक्षण संचालित है। इन 66 प्रशिक्षण संस्थानों में से अधिकांश के भवन पुराने हैं, जिनमें भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar के अन्तर्गत अधिकांश संस्थानों में नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा 1 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के भवनों के वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार कराया जाना है। इन भवनों के जीर्णोद्धार से उनमें छात्रावास की सुविधा सहित छात्रों को बेहतर ढंग से 2 वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं 1 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार आवश्यक है। संस्थानों का नाम एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन की राशि निम्नवत है–

(i) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गया	– ₹223.471 लाख
(ii) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पिरौंटा, भोजपुर	– ₹184.397 लाख
(iii) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डुमरा, सीतामढ़ी	– ₹306.373 लाख
(iv) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामबाग, मुजफ्फरपुर	– ₹348.290 लाख
(v) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खिरनीघाट, भागलपुर	– ₹246.142 लाख
(vi) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दिघी, वैशाली	– ₹190.361 लाख
(vii) प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मोकामा, पटना	– ₹92.905 लाख

3. उपर्युक्त 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा 1 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2017–18 में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० द्वारा प्रारम्भ किया जाएगा। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर राशि प्राक्कलित की गई है।

4. विश्व बैंक सम्पोषित "Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar" योजनान्तर्गत निर्धारित Disbursement Linked Indicators के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा 1 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के भवनों के जीर्णोद्धार हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० से प्राप्त प्राक्कलन एवं कुल प्राक्कलित राशि ₹15,91,93,000.00 (पन्द्रह करोड़ इक्यानबे लाख तिरानबे हजार) रूपये की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

(450)

5. उपर्युक्त विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना में विश्व बैंक एवं राज्य सरकार का हिस्सा 70:30 के अनुपात में है।
6. राशि का विकलन 21–शिक्षा विभाग, मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति पर पुँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–सामान्य शिक्षा, लघु शीर्ष–202–माध्यमिक शिक्षा, उपशीर्ष–0510– राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवन (बाह्य सम्पोषित परियोजना), विपत्र कोड–21–4202012020510, पी.एफ.एम.एस कोड–1383, विषय शीर्ष–510.53.01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत होगा।
7. सम्पूर्ण राशि निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, शिक्षा विभाग के द्वारा BTC फार्म 46 पर करते हुए राशि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० के पी.एल. खाता में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
8. निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा संबंधित डायट/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य, निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण तथा राज्य सरकार के स्तर से की जाएगी एवं समय–समय पर उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा।
9. राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
10. सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति का अनुमोदन संचिका संख्या– 20/वि० 1–13/2016 के पृष्ठ संख्या 21/टि०, 33/टि० एवं 40/टि० पर क्रमशः दिनांक 01.08.2017, 22.09.2017 एवं 24.10.2017 को प्राप्त है।
11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–20/वि० 1–13/2016 के पृष्ठ संख्या 42/टि० पर दिनांक 01.11.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–13/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–13/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा एवं बजट प्रशाखा–5, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–13/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्राचार्य, डायट, पी.टी.ई.सी./प्रशाखा पदाधिकारी–12 एवं 20, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–13/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–13/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–13/2016 ....490.... पटना, दिनांक ....09/11/2017....
प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/11/17
उप सचिव